

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013—चैत्र 9, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 1902-123-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१३

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१३

[दिनांक २८ मार्च, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० मार्च, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, २०१३ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१३ से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रवृत्तियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रवृत्तियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"१. नियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी,—

(क) १,८०,००० रुपये से अधिक नहीं है

कुछ नहीं

(ख) १,८०,००० रुपये से अधिक है

२५०० रुपये (ग्यारह माह के लिए प्रतिमाह २०८ रुपये तथा बारहवें माह के लिए २१२ रुपये)".

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 1903-123-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2013.

THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of the Governor on the 28th March, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th March, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force from 1st day of April, 2013.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Amendment of Schedule.

“1. Persons in employment whose annual salary or wages,—

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (a) does not exceed rupees 1,80,000 | Nil |
| (b) exceed rupees 1,80,000 | Rupees 2,500 (Rupees 208 per month for eleven months and rupees 212 for twelfth month)”. |